टी.आर_सूचना\2021-22 दिनांक: 15 अप्रैल, 2021

व्यापार सूचना संख्या: चीनी/आयात/01/2021

आईटीसी (एच.एस) कोड के अंतर्गत सभी चीनी आयात अनुबंधों का पंजीकरण

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के साथ विदेश व्यापार नीति की आयात नीति अध्याय 17 आईटीसी (एचएस), 2017 की अनुसूची में निहित नीति शर्तों के आधार पर आईटीसी (एचएस) कोड 1701 के अंतर्गत सभी चीनी आयात अनुबंधों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाएगा।यह व्यापार सूचना अनुबंधों के पंजीकरण की प्रक्रिया को निर्धारित करने के लिए जारी की जा रही है।

1.0	**आईटीसी (एचएस) कोड उत्पाद विवरण केन या बीट शुगर और रासायनिक रूप से ठोस रूप से शुद्ध सुक्रोज के अंतर्गत आते हैं।**	**आईटीसी (एचएस) 1701 1200 बीट शुगर** **आईटीसी (एचएस) 1701 1310 गन्ने का गुड़** **आईटीसी (एचएस) 1701 1320 खंडसरी** **आईटीसी (एचएस) 1701 1390 अन्य** **आईटीसी (एचएस) 1701 1410 गन्ने का गुड़** **आईटीसी (एचएस) 1701 1420 खंडसरी चीनी** **आईटीसी (एचएस) 1701 1490 अन्य** **आईटीसी (एचएस) 1701 9100 फ्लेवरिंग या कलरिंग पदार्थ के साथ रिफाइन्ड चीनी** **आईटीसी (एचएस) 1701 9910 शूगर क्यूब्स** **आईटीसी (एचएस) 1701 9990 अन्य**
2.0	आरसीएसी प्रस्तुत करने और जारी करने के लिए आवेदन/दस्तावेज़	आयात के अनुबंधों के पंजीकरण के लिए आवेदन निर्धारित प्रपत्र में मुख्यालय, नई दिल्ली या क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में आयातक द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध की प्रति के साथ भेजा जाए। एपीडा मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय, मुम्बई में पूरे दस्तावेज़ों के साथ आवेदन प्राप्त होने पर आयातक को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण-सह-आवंटन-प्रमाण-पत्र (आरसीएसी) जारी किया जाएगा।जारी होने या अंतिम तिथि से 45 दिनों तक मान्यता के साथ उपरोक्त विवरण दिया जाए।जारी आरसीएसी गैर-हस्तांतरणीय है।
3.0	मान्यता का विस्तार	आरसीएसी की मान्यता को अंतिम तिथि के अधीन 45 दिनों की एक अन्य अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिसे सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।
4.0	आवेदन शुल्क	अनुबंध के पंजीकरण के लिए आवेदन के साथ आयाकों द्वारा एपीडा को 10 रुपए प्रति मीट्रिक टन के साथ 18% जीएसटी की दर से शुल्क देय है।शुल्क एपीडा, नई दिल्ली/मुम्बई के देय पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्टके माध्यम से देय होगा।यह शुल्क नॉन-रिफंडेबल (गैर-वापसी) और गैर-हस्तांतरणीय होगा।
5.0	मॉनिटरिंग	1. आयातक को प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक निर्धारित प्रारूप (संलग्नक-2) में वास्तविक आयात के बारे में एपीडा को

		रिपोर्ट करना होगा।पूर्ववर्ती महीने में कोई आयात न होने की स्थिति में 'NIL' रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। 2. यदि वास्तविक आयात पर रिपोर्ट (1) के अनुसार समय पर प्राप्त नहीं होती है तो एपीडा उसे एकतरफा रूप से निलंबित/रद्द कर सकता है। अत: जारी आरसीएसी तब तक उपलब्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि पूर्व आयात आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए जाते। 3. एपीडा के अधिकारी या उनके नामित अधिकारी आयातक के निर्दिष्ट परिसर का दौरा करने और आयातित चीनी की मात्रा का निरीक्षण करने के हकदार होंगे।
6.0	अधिकार- क्षेत्र	इस व्यापार सूचना के किसी भी नियम और शर्तों को लागू करने के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति, केवल दिल्ली में न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
7.0	संपर्क विवरण	1. श्रीमती विनीता सुधांशु उप महाप्रबंधक, एपीडा, चौथी मंजिल, एनसीयूआई बिल्डिंग खेल गांव के सामने अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली 110016 फोन: 011-26861502 ई-मेल: vinitas@apeda.gov.in
		2. श्री आर.रविंद्रा उप महाप्रबंधक एपीडा क्षत्रीय अधिकारी चौथी मंजिल, यूनिट नं. 3 और 4 बैंकिग कॉम्प्लैक्स बिल्डिंग, सैक्टर19/ए, वाशी, न्यू बॉम्बे 400705 फोन: 022-27840949, 27845442 फैक्स: 022-27842273 ई-मेल:Apeda.mum@gov.in; ravindra@apeda.gov.in

(डॉ. एम. अगंमुथु)
अध्यक्ष

संलग्नक-1

चीनी के आयात के लिए अनुबंध के पंजीकरण हेतु आवेदन फॉर्म

1.	आयात निर्यात कोड (आईईसी) सं.	
2.	आवेदक के नाम के साथ पूरा पता	नाम: पता: फोन नं.: मोबाइल: फैक्स: ई-मेल:
3.	**आयात की जाने वाली मात्रा** **(प्रत्येक कोड के लिए पृथक)**	मीट्रिक टन में मात्रा: आईटीसी एचएस कोड संख्या:
4.	प्रति मीट्रिक टन में सीआईएफ मूल्य (अमरीकी डॉलर में)	
5.	अनुबंध का कुल सीआईएफ मूल्य (अमरीकी डॉलर में)	
6.	आपूर्तिकर्ता का नाम और पता	
7.	एल/सी, अनुबंध/ ऑर्डर संख्या की तिथि	
8.	मूल पोर्ट	
9.	भारत में पहुंचने पर पोर्ट	
10.	अनुबंध पंजीकरण शुल्क जीएसटी के साथ 10 रूपए प्रति मीट्रिक टन	
11.	बैंक के नाम के साथ डिमांड ड्रॉफ्ट संख्या और तिथि	

प्रमाणित किया जाता है की उपरोक्त जानकारी सही है और इस आवेदन को जमा करने से पहले, उपरोक्त व्यापार सूचना को हमारे द्वारा पढ़ा और समझा जा चुका है।

स्थान एवं तिथि: आवेदक के नाम एवं पते के साथ हस्ताक्षर

संलग्नक-2

क्र.सं.	**पर्टिकुलर्स**	**विवरण**
1.	आयातक का नाम एवं पता	नाम: पता: फोन नं.: फैक्स: ई-मेल:
2.	तिथि के साथ आईईसी संख्या और एपीडा की आरसीएमसी संख्या	आईईसी संख्या और तिथि: एपीडा आरसीएमसी संख्या और तिथि:
3.	एपीडा द्वारा जारी आरसीएसी की तिथि एवं संख्या	
4.	**उपर्युक्त आईटीसी (एचएस) कोड के साथ मात्रा (जिसके लिए अनुबंध पंजीकृत किया गया है)**	**मात्रा:** **एचएस कोड संख्या:**
5.	आयात का सीआईएफ मूल्य/ एफओबी मूल्य	अमरीकी डॉलर में सीआईएफ अमरीकी डॉलर में एफओबी रूपए में सीआईएफ अमरीकी डॉलर में एफओबी
6.	मूल पोर्ट	
7.	भारत में कार्गो आगमन की तारीख	
8.	भारत में आयात पोर्ट	

स्थान:

तिथि:

हस्ताक्षर
नाम और पद